न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :–महीपाल सिंह, आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :– 62 /2020 (ब) फौ

श्री कांवर लाल पुत्र रामा कुमावत नि० डेलास - तह० करेड़ा

––प्रार्थी।

बनाम

1–श्री केसर s/o उदा कुमावत नि० डेलास - तह- करेड़ा - वगैरहा

––विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: निर्णय :: दिनांकः 10/8/2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0 भू0 राज0 अधि01956 के त प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डेलास पटवार हल्का रामपुरीया भू0अ0नि0 क्षेत्र निम्बाहेड़ा जाटान उनके खाता संख्या 9 की आ0नं0 38/2 रकबा 2.15 बिघा, 101 रकबा 1 बीघा, 103 रकबा 1.7 बिघा, 104/1 रकबा 17 बिस्वा, 38/2 रकबा 1.3 बिघा, 715/2 रकबा 5 बिस्वा किता 6 रकबा 7.07 बिघा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य राजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। समें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 5/6/2020 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की –फैरी होने का अदेंशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया कर ग्राम डेलास पटवार हल्का रामपुरीया भू0अ0नि0 क्षेत्र निम्बाहेड़ा जाटान में उनके खाता ख्या 9 की आ0नं. 38/2 रकबा 2.15 बिघा, 101 रकबा 1 बीघा, 103 रकबा 1.7 बिघा, 104/1 रकबा 17 बिस्वा 638/2 रकबा 1.3 बिघा, 715/2 रकबा 5 बिस्वा, कुल किता 6 रकबा 7.07 बिघा। भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की ख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि0 निम्बाहेड़ा जाटान को 750/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

सलंग्न :–प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाडा